तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज
2-4-18	पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकेन उपस्थित। आज P.O. सा.... [illegible] की ... हेतु पधारने से पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक ..21.7.18.. को पेश करें। आदेश से, रीडर, सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुलाबपुरा
अ.नि. कन्या	
विनोद	13/6/2018
	पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट खोजडी पर पेश हुई। वादीगण की ओर से श्रीमति निर्मला जैन के द्वारा दिनांक 7/6/2018 को प्रस्तुत शुदा वकालतनामा व सूची दस्तावेजात शामिल पत्रावली रहें। प्रतिवादी नारायण वे की ओर से श्री रतनलाल वैष्णव के द्वारा दिनांक 12/6/2018 को प्रस्तुत शुदा पॉवर व सूची दस्तावेजात शामिल पत्रावली रहें।
	आज श्रीमति कन्या व विनोद बलाई वादीगण के द्वारा उपस्थित होकर कथन किया कि विवादित आराजीयात में हमारा हक हिस्सा था वह हमे नामान्तकरण सं0- 350 दिनांक 13/6/2018 से प्राप्त हो चुका है। विवादित आराजीयात में जो भूमि मांगू जी के द्वारा विक्रय की गई थी उससे हमारा हिस्सा नही है और न ही उसमें से हमे कोई हिस्सा चाहिये अन्त में कथन किया कि विवादित आराजीयात में हमारा हिस्सा मिल जाने से हम इस वाद में कोई कार्यवाही नही चाहते है।
	मैने उपस्थित वादीगण को सुना।
सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा	उनके द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबन्दी सं0- 2073 से 2076 मौजा खोडी, तहसील हुरडा के खाता
	निरन्तर----

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
सं0- 159 का अवलोकन किया गया। जिस अनुसार जरिये नामान्तकरण सं0- 350 दिनांक 13/6/2018 से वादीगण का नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद हेतुक समाप्त हो जाता है तथा वादीगण के द्वारा भी इस वाद की कार्यवाही बन्द किया जाना आज मेरे समक्ष जाहिर करने से इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करे। आदेश आज दिनांक 13/6/2018 को खुली लोक अदालत कैम्प कोर्ट खोजड़ी पर सुनाया गया। सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा	सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner